प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2023
प्र.ई.रि.सं. 132/2023 दिनांक 28/5/2023

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें ..... 7,7A.....
(2) अधिनियम..... धारायें .....
(3) अधिनियम..... धारायें.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 545 समय 6:30 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– शनिवार, दिनांक 27.05.2023, समय 1:45 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 28.05.2023, समय 10 ए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पश्चिम 35 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता–सर्विस रोड टोंक–सवाईमाधोपुर ओवरब्रिज के पास सर्विस रोड .....बीट सं....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **महेन्द्र कुमार मेरूठा पुत्र श्री बाबूलाल मेरूठा उम्र 33 साल निवासी वार्ड नम्बर 10 उनियारा जिला टोक मो. न. 9928111209**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– खेती ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री लाखन सिंह नरवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति हरिजन उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 06, हरिजन बस्ती, उनियारा जिला टोंक हाल सफाई कर्मचारी नगर पालिका, उनियारा जिला टोंक

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 4000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 4,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं महेन्द्र कुमार मेरूठा पुत्र श्री बाबूलाल मेरूठा उम्र 33 साल निवासी वार्ड नम्बर 10 उनियारा जिला टोक का रहने वाला हुँ। मैं गर्ल्स स्कूल उनियारा के सामने कॉमन

सर्विस सेन्टर पी.एन.बी. बैक की कियोस्क लगाता हुॅ। जिस पर व्यक्तियो के रूपये निकालने व जमा करने का काम करता हुॅ। मेरी फर्म का नाम एम.के. इन्टरप्राईजेज है। जिसका रजिस्टेशन हो रखा है। मैने नगरपालिका उनियारा में चाय, नाश्ता, मिठाई सप्लाई का ठेका वर्ष 2021–2022 का 31 मार्च 2022 को लिया था। मैंने नगर पालिका उनियारा के आदेश से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को सभी सरकारी विघालयो में मिठाई व अन्य खादय साम्रगी (चाय, कचौरी, पानी, लड्डू) की सप्लाई की थी। जिसका करीब 76230 रूपये का बिल बना था तथा दिनांक 15.02.2023 को आयोजित नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पानी बोतल, मिठाई, चाय, कचौरी, बिस्कुट की सप्लाई की थी। जिसका करीब 3077 रूपये का बिल बना था। उक्त दोनो बिल का भुगतान करने के लिये नगरपालिका उनियारा में दिया था। नगरपालिका उनियारा में कार्यरत श्री सुलेमान वरिष्ठ सहायक (बाबूजी) मेरे पेण्डिग बिल पास नही कर रहे है। दो दिन पहले नगर पालिका उनियारा में कार्यरत श्री लाखन सिंह नरवाल सफाई कर्मचारी (जमादार) ने मुझसे आकर कहॉ कि तेरे बिल पास करवाना है तो तुझे 5000 रूपये देने होगे तब ही तेरे बिल पास होगे तो मैने कहॉ कि सुलेमान बाबू जी ने मुझसे रूपये के लिये नही कहॉ तो लाखन कहने लगा कि वह तुझसे रूपये नही लेगे वह मेरे मार्फत रूपये लगे। जब तु मुझे 5000 रूपये देगा तब ही सुलेमान जी बाबूजी तेरे बिल पास करेगे। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री लाखन सिंह नरवाल सफाई कर्मचारी (जमादार) नगर पालिका उनियारा को 5000 रूपये रिश्वत नही देना चाहता हुॅ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी श्री लाखन सिंह नरवाल सफाई कर्मचारी (जमादार) नगर पालिका उनियारा से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

महेन्द्र कुमार मेरूठा पुत्र श्री बाबूलाल मेरूठा उम्र 33 साल
निवासी वार्ड नम्बर 10 उनियारा जिला टोक
मो. न. 9928111209

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 27.05.2025 समय 9.15 ए.एम. पर श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को अपने कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री महेन्द्र कुमार मेरूठा पुत्र श्री बाबूलाल मेरूठा उम्र 33 साल निवासी वार्ड नम्बर 10 उनियारा जिला टोक (राज.) से आपस में परिचय करवाते हुये, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र देते हुये, अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि मैं महेन्द्र कुमार मेरूठा पुत्र श्री बाबूलाल मेरूठा उम्र 33 साल निवासी वार्ड नम्बर 10 उनियारा जिला टोक का रहने वाला हुॅ। मैं गर्ल्स स्कूल उनियारा के सामने कॉमन सर्विस सेन्टर पी.एन.बी. बैक की कियोस्क लगाता हुॅ। जिस पर व्यक्तियो के रूपये निकालने व जमा करने का काम करता हुॅ। मेरी फर्म का नाम एम.के. इन्टरप्राईजेज है। जिसका रजिस्टेशन हो रखा है। मैने नगरपालिका उनियारा में चाय, नाश्ता, मिठाई सप्लाई का ठेका वर्ष 2021–2022 का 31 मार्च 2022 को लिया था। मैंने नगर पालिका उनियारा के आदेश से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को सभी सरकारी विघालयो में मिठाई व अन्य खादय साम्रगी (चाय, कचौरी, पानी, लड्डू) की सप्लाई की थी। जिसका करीब 76230 रूपये का बिल बना था तथा दिनांक 15.02.2023 को आयोजित नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पानी बोतल, मिठाई, चाय, कचौरी, बिस्कुट की सप्लाई की थी। जिसका करीब 3077 रूपये का बिल बना था। उक्त दोनो बिल का भुगतान करने के लिये नगरपालिका उनियारा में दिया था। नगरपालिका उनियारा में कार्यरत श्री सुलेमान वरिष्ठ सहायक (बाबूजी) मेरे पेण्डिग बिल पास नही कर रहे है। दो दिन पहले नगर पालिका उनियारा में कार्यरत श्री लाखन सिंह नरवाल सफाई कर्मचारी (जमादार) ने मुझसे आकर कहॉ कि तेरे बिल पास

करवाना है तो तुझे 5000 रूपये देने होगे तब ही तेरे बिल पास होगे तो मैने कहॉ कि सुलेमान बाबू जी ने मुझसे रूपये के लिये नही कहॉ तो लाखन कहने लगा कि वह तुझसे रूपये नही लेगे वह मेरे मार्फत रूपये लगे। जब तु मुझे 5000 रूपये देगा तब ही सुलेमान जी बाबूजी तेरे बिल पास करेगे। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री लाखन सिंह नरवाल सफाई कर्मचारी (जमादार) नगर पालिका उनियारा को 5000 रूपये रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी श्री लाखन सिंह नरवाल सफाई कर्मचारी (जमादार) नगर पालिका उनियारा से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है।

प्रार्थना पत्र परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि श्री लाखन सिंह नरवाल सफाई कर्मचारी (जमादार) नगर पालिका उनियारा द्वारा श्री सुलेमान बाबूजी के कहने पर मेरे पेण्डिग बिलो को पास करवाने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत के मॉग रहा है। श्री लाखन सिंह नगर पालिका उनियारा में दलाली का काम करता है। प्रार्थना पत्र हस्तलिखित होकर स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड एवं टेण्डर आदेश, सप्लाई आदेश व बिल की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी।

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रकियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 27.05.2023 समय 9.40 ए0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मैं आज ही श्री लाखन सिंह नरवाल सफाई कर्मचारी (जमादार) नगर पालिका उनियारा से मिलकर मेरे पेण्डिग बिलो के भुगतान के सम्बन्ध में बात करूंगा तथा साथ ही उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की वार्ता भी कर लूगां। अतः श्री राजकुमार कानि. 160 को तलबकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया, मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस कर परिवादी एवं राजकुमार को समय 9.50 ए.एम. पर उनियारा रवाना किया गया। समय 11.20 ए.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने जरिये दूरभाष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता हो गई है। उस वार्ता को मेरे द्वारा सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 4000 रूपये की मॉग कर रहा है तथा आज ही रिश्वत राशि देने हेतु कह रहा है। इस पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार मेरूठा से भी वार्ता की गई तो उसने भी बताया कि श्री लाखन सिह नरवाल सफाई कर्मचारी से वार्ता हो गई है जो वार्ता मैंने आपके द्वारा दिये वायस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है तथा वायस रिकार्डर श्री राजकुमार जी को दे दिया है। श्री लाखन सिह नरवाल सफाई कर्मचारी द्वारा आज ही रिश्वत की राशि देने हेतु कहा है। इस पर परिवादी को रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो उसने स्वंय के पास होना बताते हुये बताया कि आपके कार्यालय में उपस्थित होने में समय अधिक लगेगा। जिस पर परिवादी व राजकुमार कानि. को हिदायत दी गई कि वह सुरक्षित स्थान उनियारा से पहले टोक सवाईमाधोपुर हाईवे पर इंतजार करे। मैं कार्यवाही हेतु मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता तथा आवश्यक साम्रगी लेकर उनियारा पहुॅच रहा हुँ। समय 11.30 ए.एम पर श्री मौ0 जुनैद हैड कानि. 32 को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,सआदत अस्पताल टोक के नाम पत्र जारी कर उचित हिदायत कर रवाना किया गया तथा प्राईवेट गाडी हेतु फोन किया गया। समय 11.45 ए.एम. श्री मौ0 जुनैद हैड कानि. हमराह कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत अस्पताल टोक से दो स्वंतत्र गवाह 1. श्री घनश्याम लाल योगी पुत्र श्री गोपीलाल जाति नाथ उम्र 55 साल निवासी–बम्बोर रोड सन्तोष नगर अन्नपूर्णा के पास टोक हाल कनिष्ठ सहायक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहादत अस्पताल, टोंक। मो0नं0 9461965520, 2.श्री लड्डू लाल मीना पुत्र श्री शिवराम मीना उम्र 57 साल जाति–मीणा निवासी –शिवाजी नगर कम्पू टोंक हाल कनिष्ठ सहायक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहादत अस्पताल, टोंक। मो0न0 9468934986 के उपस्थित कार्यालय आये। दोनो गवाहान का परिचय लिया जाकर स्टाफ से परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो ने अपनी–अपनी सहमति दी। परिवादी द्वारा

पेश प्रार्थना पत्र गवाहान को पढाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। प्राईवेट वाहन चालक मय गाडी के कार्यालय उपस्थित आया। समय 11.55 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री गणेश सिह कानि0 चालक 375 द्वारा कार्यालय आलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी मोटरसाईकिल के लगे कपडे के बैग की जेब में सुरक्षित रखवायी जाकर सरकारी मोटरसाईकिल से गणेश सिह कानि0 चालक को रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि0 74, श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि.32, जलसिह कानि0 248, श्री अजीत सिह कानि0 56, गवाह श्री घनश्याम लाल योगी, गवाह श्री लड्डूलाल मीना मय लैपटॉप प्रिन्टर एवं तैयारशुदा ट्रेपबॉक्स मय सरकारी वायॅस रिकार्डर के मय प्राईवेट वाहन टवेरा से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु उनियारा के लिये रवाना हुआ। समय 12.25 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय सरकारी मोटरसाईकिल व प्राईवेट वाहन से उनियारा से पहले टोक सवाईमाधोपुर हाईवे पर पहुचा। जहॉ वाहन को रोड पर एक साईड एकान्त में खडा किया गया वही पर श्री राजकुमार कानि. व परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा उपस्थित मिले। परिवादी का गवाहान से परिचय करवाया गया। श्री राजकुमार कानि द्वारा वायस रिकार्डर प्रस्तुत कर आरोपी श्री लाखनसिह नरवाल व परिवादी के मध्य होने वाली रिकार्ड वार्ता में रिश्वत मॉग होना बताया। जिस पर श्री राजकुमार कानि. से वायस रिकार्डर प्राप्त कर रिकार्डर को चालू कर वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत की मॉग करना सत्यापित हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान को भी मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये।जिसकी पृथक से फर्द टांसकिप्ट तैयार की जावेगी। समय 12.35 पी.एम. पर परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर सरकारी मोटरसाईकिल के लगे कपडे के बैग की जेब से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्री गणेश सिह कानि0 चालक से निकलवाई जाकर श्री गणेश सिह से ही जमीन पर अखबार बिछा कर उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस श्री गणेश सिह के पास सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री घनश्याम लाल योगी से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुये रिश्वती राशि परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा के पहनी हुयी पेन्ट की दायी जेब में श्री गणेश सिह से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया का दृष्टान्त देकर समझाईस की गई तथा परिवादी को अपने सिर पर से साफी को हटा कर रिश्वत राशि के लेनदेन का निर्धारित ईशारा करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी से आरोपी की लोकेशन के सम्बंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि लाखनसिह नरवाल अपनी होटल पर ही मिलेगे उन्होने मुझे होटल पर ही बुलाया है। समय 01.25 पी.एम. पर श्री गणेश सिह कानि0 चालक मय फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी के टोक रवाना होने की मुनासिब हिदायत कर श्री राजकुमार कानि0 को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु परिवादी को वायस रिकार्डर चालू कर देने हेतु दिया जाकर परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा को स्वय की मोटरसाईकिल से उनियारा की तरफ रवाना कर परिवादी के पिछे–पिछे मौ0जुनैद हैड कानि0 व राजकुमार कानि0 को सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री महेन्द्र कुमार मेरूठा स्वतंत्र गवाहान श्री घनश्याम लाल योगी व श्री लड्डूलाल मीना व हमराही जाप्ता श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि0 74 ,श्री अजीत सिह कानि. 56, श्री जलसिह कानि0 248, मय प्राईवेट वाहन से परिवादी के पिछे–पिछे ट्रेप कार्यवाही हेतु उनियारा के लिये रवाना हुआ। समय 01.35 पी.एम._मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय गवाहान मय प्राईवेट वाहन से उनियारा की तरफ जाने वाली पुलिया को कॉस किया तो टोक की तरफ जाने वाली सर्विस रोड पर परिवादी एक सफेद रग की स्कॉरपियो गाडी के पास रूक कर बात करता हुआ दिखाई दिया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के सर्विस रोड पर प्राईवेट वाहन टेवेरा के रूक गया। समय 02.45 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय 1:45 पी.एम. पर परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा ने अपने सिर पर बंधी साफी को हटाकर रिश्वत राशि प्राप्ति से सम्बन्धित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी ने मन्

पुलिस निरीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे बन्द कर सुरक्षित रखा गया। जहां पर परिवादी एक सफेद कलर की स्कॉरपिओ कार के पास खडा मिला और कार में एक व्यक्ति ड्राईवर सीट पर बैठा हुआ मिला। परिवादी ने ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि **"यही लाखन सिह नरवाल जी है, जिन्होंने मेरे टेन्डर के बिलो को पास करवाने की एवज में अभी–अभी मेरे से 4000 हजार रूपये रिश्वत के मांग कर रिश्वती राशि चार हजार रूपये प्राप्त कर अपने हाथो मे रखे है।"** इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री लाखन सिंह नरवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति हरिजन उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 06, हरिजन बस्ती, उनियारा जिला टोंक हाल सफाई कर्मचारी नगर पालिका, उनियारा जिला टोंक होना बताया। आरोपी लाखन सिह नरवाल को परिवादी से ली गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो वह चुप रहा, फिर बोला **"मैनें कोई रिश्वत नहीं ली है,मै अभी फागी जा रहा था तो मुझे महेन्द्र कुमार मेरूठा ने हाथ देकर रोका ओर इसने मुझे अपने टेण्डर के बिल पास करवाने के लिये 4000 रूपये जबरदस्ती मेरे हाथ मे दे दिये। मेने कोई रिश्वत राशि महेन्द्र कुमार से नही मांगी।** जिस पर परिवादी **महेन्द्र कुमार** ने स्वतः ही बताया कि **"लाखन सिह जी झुठ बोल रहे है, दिनांक 27.05.2023 को मै लाखन सिह जी से इनके होटल पर मिला था तब इन्होने मेरे से मेरे टेण्डर के बिल पास करवाने की एवज मे 4,000/–रूपये मांगे थे। इस लिये मै आज आपके पास से रवाना होकर लाखनसिह जी की होटल पर जा रहा था तो टोक की तरफ की बाईपास पुलिया के पास स्कॉरपियो गाडी मे ड्राईवर सीट पर लाखनसिह जी बैठा हुआ मिले ,जिन्होने मेरे से मेरे काम कराने के लिये मुझ से 4,000/–रूपये देने हेतु कहा जिस पर मैने इनकी मांग के अनुसार ही मैनें अभी इन्हें 4,000/– रूपये दिये है। जो इन्होने अपने हाथो मे ले लिये थे"** जिस पर आरोपी लाखनसिह नरवाल चुप रहा तथा कुछ समय सोच कर बोला कि "मैनें पैसे देने के लिए इससे जबरदस्ती नहीं करी थी इसने मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दी, इसने मुझे मरवा दिया " इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी सफाई कर्मचारी लाखन सिह को पुनः तसल्ली देकर पुछा तो **आरोपी ने बताया कि करीब दो–तीन दिन से महेन्द्र कुमार मेरूठा मेरी होटल पर आया था। तब इन्होने मेरे से नगर पालिका मे टेण्डर के बिलो को पास करवाने के सम्बन्ध में बात की थी तब कहा था कि तेरे बिल बाबूजी से पास करवाने की गारन्टी मेरी है जिसके लिये तेरे 5000/– रूपये लगेगे। इस लिये महेन्द्र कुमार मेरे पास आया ओर इसने मुझे 4000/–रूपये दिये जो मेने महेन्द्र से लेकर अपने हाथो मे रखे है जो मेरे पास है मै गरीब आदमी हूँ मुझे बचा लो। मैने यह पैसे मेरे लिये नही लिये है यह पैसे मेने नगरपालिका के बाबूजी सुलेमान जी को देने के लिये लिये थे जो मै यह चार हजार रूपये बाबूजी को दूगॉ। जिसपर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी लाखनसिह से सुलेमान बाबू जी से बात करने के लिये कहा तो आरोपी ने कहा मै फोन पर बात कर लूगा। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने मौके पर से ही आरोपी के मोबाईल फोन से सुलेमान बाबूजी के नम्बर 7688891382 पर कॉल करवाकर सरकारी वॉयर रिकार्डर चालू करवाकर आरोपी लाखनसिह के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो सुलेमान बाबू ने कहा की मैने कब पेसे मांगे मेने कोई पैसे नही मांगे। उक्त वार्ता को सरकारी वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई।** परिवादी ने बताया कि " मैनें इन्हें जबरदस्ती रिश्वत नहीं दी है, अभी थोड़ी देर पहले ही लाखन सिह जी आये जिन्होनें मेरे टैण्डर बिलो को पास करवाने के काम के बदले मेरे से 4,000/–रूपये मागे थे । मेरे से लाखनसिह जी ने 4000 हजार रूपये लेकर अपने हाथो मे रखे है। इस पर आरोपी लाखन सिह नरवाल चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम लाल योगी से आरोपी लाखन सिह सफाई कर्मचारी के हाथो मे पकडे हुये 500–500 रूपये के नोटों को गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4000/–रूपये मिले जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6VW	**046672**
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5RL	**271301**
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1KT	**875926**
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5MG	**696623**
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7FF	**211951**

6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5HP	**628155**
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7RR	**260254**
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2UE	**959849**

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशि को गवाह श्री घनश्याम लाल योगी के पास सुरक्षित रखवाया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक ने गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में वहीं से साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में श्री लाखन सिह नरवाल सफाई कर्मचारी के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क **आर–1, आर–2** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री लाखन सिह नरवाल सफाई कर्मचारी के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क **एल–1, एल–2** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात घटना स्थल पर मौके पर अनावश्यक भीड होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी लाखनसिह सफाई कर्मचारी को हमराह लेकर गवाहान, हमराहियान जाप्ता धोवण के सैम्पल व रिश्वती राशि के अग्रीम कार्यवाही हेतु मौके से प्राईवेट वाहन टवेरा व आरोपी की स्कॉरपिओ गाडी से रवाना होकर पुलिस थाना उनियारा पहुचा। मन पुलिस निरीक्षक ने पूर्व मे गवाह श्री घनश्याम लाल योगी के पास रखवाई गई आरोपी से बरामद रिश्वती राशि 4000/–रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी के पास मिले वीवो कम्पनी के मोबाईल मे एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 6376755758 दूसरी जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 9772547034 लगी हुयी है उक्त मोबाईल से कार्यवाही के दौरान वार्ता हुयी है, अतः मोबाईल को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिल्डचिट कर मार्क–**एम–1** अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री लाखन सिह नरवाल को परिवादी के टेण्डर बिलो की पत्रावली के बारे मे पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैरे पास इनकी कोई पत्रावली नही है। इनकी पत्रावली सुलेमान बाबू जी नगर पालिका उनियारा के पास है। इसी दौरान मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली के लिये श्री मौ0 जुनैद व कानि0 राजकुमार को पाबन्द कर निर्देशित किया कि परिवादी के टेण्डर बिलो की मूल पत्रावली सुलेमान बाबू नगर पालिका उनियारा जिला टोक से प्राप्त कर बाबू को हमराह लेकर आने हेतु नगर पालिका उनियारा भिजवाया गया। श्री मौ0 जुनेद व कानि राजकुमार हमराह पत्रावली व सुलेमान बाबू को लेकर पुलिस थाना उनियारा उपस्थित आये। परिवादी के टेण्डर बिलो से सम्बधित पत्रावली का मन पुलिस निरीक्षक ने अवलोकन किया तथा पत्रावली पर पेजिग करवाई गई जिस पर क्रम संख्या 01 से 33 तक अंकित है। उक्त मूल पत्रावली की फोटोप्रति करवाकर श्री निलेश गर्ग कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका उनियारा से प्रमाणित करवाकर प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई तथा मूल पत्रावली श्री सुलेमान कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका उनियारा को सुपुर्द की गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री घनश्याम लाल योगी से आरोपी श्री लाखन सिंह नरवाल की स्कॉरपियो गाडी रजिस्टर नम्बर आर0जे0 06 यू बी 5600 की तलाशी लिवाई गई तो गाडी में कागजात मिले जिनका अवलोकन किया तो गाडी की आर.सी. आरोपी श्री लाखनसिंह के नाम पायी गयी। उक्त स्कॉरपियो गाडी में रिश्वत लेन–देन कार्यवाही हुई है इसलिए उक्त गाडी को बतौर वजह सबूत जप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त स्कॉरपियो गाडी को पृथक से जरिये फर्द जप्त की जाकर सुरक्षार्थ पुलिस थाना उनियारा खडा करवाया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.00 पी.एम.पर आरोपी श्री लाखनसिह नरवाल पुत्रं श्री ओमप्रकाश जाति हरिजन उम्र 42 साल निवासी वार्ड न0 6 हरिजन बस्ती उनियारा जिला

टोक हाल सफाई कर्मचारी नगर पालिका उनियारा जिला टोक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार मेरूठा के फर्म के बिलो को पास करवाने की एवज मे वक्त मांग सत्यापन 4 हजार रूप्ये की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण मे दौराने ट्रेप कार्यवाही 4000/–रूपये रिश्वत राशि टोक सवाईमाधोपुर हाईवे ऑवरब्रिज के पास सर्विस रोड पर रिश्वती राशि ग्रहण कर अपने हाथो मे रखना पाया गया, जहा से रिश्वती राशि बरामद हुयी। आरोपी के उक्त कृत्य से जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व (संशोधन) 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। तथा कार्यवाही के दौरान मन पुलिस निरीक्षक ने श्रीमान राजेश आर्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो टोक को जरिये टेलिफोन आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु निवेदन किया गया। समय 5.45 पी. एम.पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी लाखन सिह नरवाल सफाई कर्मचारी नगर पालिका उनियारा जिला टोक मे प्रयुक्त वाहन स्कॉरपियो बरंग आर सी नम्बर आजे06 यूबी 5600 वाहन की तलाशी गवाह श्री घनश्याम लाल योगी से लिवाई गई तो वाहन मे आरसी के अलावा कोई सदिग्ध वस्तु या दस्तावेजात नही पाये गये। वाहन का रजिस्ट्रेशन आरोपी के नाम पाया गया। उक्त वाहन ट्रेप कार्यवाही मे आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत लेनदेन कार्यवाही मे प्रयुक्त होने के कारण वतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्त किया गया। पृथक से फर्द जब्ती तैयार कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 06.00 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक ने मांग सत्यापन व लेनदेन दिनांक 27.05.2023 को आरोपी श्री लाखन सिह नरवाल व परिवादी महेन्द्र कुमार मेरूठा के मध्य हुई वार्ता जो सरकारी वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड है,सरकारी वॉयस रिकार्डर की सहायता से हेडफोन लगाकर वांयस रिकार्डर को चालू कर सहकर्मी श्री मौ0 सुलेमान पुत्र श्री उमर मिया जाति मूसलमान उम्र–27 साल निवासी काफला बाजार टोक हाल कनिष्ठ सहायक नगरपालिका उनियारा जिला टोक को सुनवाई गई तो सहकर्मी उपरोक्त आरोपी की आवाज सुनकर पहचान की जिसमे आई सत्यापन वार्ता की आवाज आरोपी श्री लाखनसिह नरवाल सफाई कर्मचारी नगरपालिका उनियारा जिला टोक की होना ताईद किया एव ट्रांन्सकिप्ट मे वार्तालाप गहराही से सुनकर उक्त आवाज आरोपी की ही होना ताईद किया। उक्त की फर्द पहचान आवाज आरोपी की पृथक से तैयार कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली कि गई। समय 6.45 पी.एम. मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान श्री जलसिह कानि0 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय प्राईवेट वाहन टवेरा से घटना स्थल उनियारा से टोक जाने वाले ऑवरब्रिज के पास सर्विस रोड पहुच कर परिवादी की निशादेही से स्वतत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी के प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना उनियारा जिला टोक रवाना हुआ। समय 7.30 पी.एम. मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी के पुलिस थाना उनियारा पहुचा। तथा पूर्व मे जरिये फर्द बतोर वजह सबूत आरोपी की स्कॉरपियो गाडी को जरिये तहरीर वाहन को सुरक्षार्थ पुलिस थाना उनियारा जिला टोक मे सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। समय 7.45 पी.एम. मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री लाखनसिह नरवाल सफाई कर्मचारी नगरपालिका उनियारा जिला टोक मय सिल्डशुदा सेम्पल व रिश्वती राशि, जप्तशुदा आर्टिकल आदि के मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. कार्यालय टोक रवाना हुआ। समय 8.30 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री लाखनसिह नरवाल सफाई कर्मचारी नगरपालिका उनियारा जिला टोक मय सिल्डशुदा सेम्पल व रिश्वती राशि, जप्तशुदा आर्टिकल आदि के मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. कार्यालय टोक पॅहुचा। समय 9.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे दिनांक 27. 05.2023 रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलसिह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। समय 10.15 पी0एम0 रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादी व दोनों

स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुना गया, उक्त रिकार्ड वार्ता को सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री जलसिह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। समय 11.00 पी0एम0 रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव (न्यायालय व आरोपी हेतु) को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी दौरान आरोपी को खाना खिलाकर मौ0जुनेद हैड कानि0 व राजकुमार कानि0 मय सरकारी मोटरसाईकिल से आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर आरोपी को सुरक्षार्थ कोतवाली छोडने हेतु रवाना किया गया। समय 11.35 पी0एम0रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 16–16 जीबी (KDM कम्पनी)को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम"** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दिनांक 28.05.2023 समय 12.05 ए0एम0 स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाशान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मौ0जुनेद हैड कानि मय राजकुमार कानि मय सरकारी मोटरसाईकिल के आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण व बन्द हवालात पुलिस थाना कोतवाली करवाकर उपस्थित कार्यालय आये। तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स मार्क **आर–1, आर–2, एल–1, एल–2,** सिल्डशुदा रिश्वती राशि 4,000/– रूपये मार्क **एन,** रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित पेन ड्राईव पैकेट मार्क **ए–1, ए–2** एवं वार्ताओं से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड के सिल्ड पैकेट मार्क **एम** ,मोबाईल पैकिट मार्क–**एम–1** बतौर वजह सबूत जरिये मोहम्मद जुनैद है0कानि0 32 के जमा मालखाना करवाया गया। समय 1.40 ए0एम0पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री लाखनसिह नरवाल पुत्रं श्री ओमप्रकाश जाति हरिजन उम्र 42 साल निवासी वार्ड न0 6 हरिजन बस्ती उनियारा जिला टोक हाल सफाई कर्मचारी नगर पालिका उनियारा जिला टोक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार मेरूठा की फर्म के बिलो का भुगतान करवाने की एवज मे वक्त मांग सत्यापन 4 हजार रूप्ये की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण मे दौराने ट्रेप कार्यवाही 4000/–रूपये रिश्वत राशि टोक सवाईमाधोपुर हाईवे ऑवरब्रिज के पास सर्विस रोड पर ग्रहण कर अपने हाथो मे रखना पाया गया, जहा से रिश्वती राशि बरामद हुयी। आरोपी के दोनों हाथों के धोवण का रग हल्का गुलाबी होना पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व (संशो) 2018 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री लाखनसिह नरवाल पुत्रं श्री ओमप्रकाश जाति हरिजन उम्र 42 साल निवासी वार्ड न0 6 हरिजन बस्ती उनियारा जिला टोक हाल सफाई कर्मचारी नगर पालिका उनियारा जिला टोक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(नरेन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरों, टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लाखनसिंह नरवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका उनियारा, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 132/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1000-04 दिनांक 28.05.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका उनियारा, टोंक।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

28.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।